तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
29/8/23	पत्रावली आज पेश हुई दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। विपक्षी को 1103 का जवाब अप्रार्थी पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किये जाने से विपक्षी ख. नं. 1103 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। पत्रावली पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। आदेश/निर्णय अलग से लिखकर जारी खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय सुनाए होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
08/03/23	वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर पत्रावली आज सुनवाई में ली गयी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 CPC का पेश कर निवेदन किया कि उक्त अपील प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 29/08/23 में पैरा सं. 1 के ख.नं. 495 व 494 के स्थान पर टंकणीय भूल से ख.नं. 182 व 189 अंकित हो गये हैं अतः इन्हें दुरुस्त किया जावे। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर पत्रावली व निर्णय दि. 29/8/23 का अवलोकन किया गया। टंकणीय भूल से ख.नं. 495 व 494 के स्थान पर 182 व 189 अंकित हुए हैं जिनका प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है संशोधित आदेश जारी हो। पत्रावली पुनः निर्णय जारी होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

ीन अधिकारी :– श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

ं. 07 / 2022

ार्थीगण

1. देवीसिंह पुत्र राणसिंह
2. रामसिंह पुत्र श्री भूपसिंह फौत के वारिसान :–
   2/1 मदनसिंह पुत्र रामसिंह
   2/2 शंभूसिंह पुत्र रामसिंह
   2/3 शैतानसिंह पुत्र रामसिंह
   2/4 हरिसिंह पुत्र रामसिंह
   2/5 मनोहरसिंह पुत्र रामसिंह
   2/6 उगमकंवर पत्नी रामसिंह
   जाति राजपूत निवासी नया नगर गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. उगमकंवर उर्फ उषाकंवर पत्नी सोहनसिंह
2. गजुसिंह पुत्र सोहनसिंह
3. पदमसिंह पुत्र सोहनसिंह
4. भगवानसिंह पुत्र सोहनसिंह
5. अर्जुनसिंह पुत्र चिमसिंह
6. चूनीकंवर पत्नी शिवसिंह लाऔलाद फौत
7. जगमालसिंह पुत्र चिमनसिंह
8. जोगसिंह पुत्र राणसिंह फौत के कायम मुकामः–
   8/1 शोभाकंवर पत्नी जोगसिंह
   8/2 दीक्षाकंवर पुत्र जोगसिंह
   8/3 दिलखुशकंवर पुत्री जोगसिंह
   8/4 खुशबूकंवर पुत्री जोगसिंह
   नाबालिग की कुदरति वालिदा माता शोभाकंवर विप्रार्थी संख्या 8/1
9. देसुदेवी पत्नी चिमनसिंह
10. बलवन्तसिंह पुत्र भूपसिंह
11. रेखाकंवर पत्नी राणसिंह फौत
12. तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए की उपधारा 1
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संशोधन अधिनियम 2010)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 29.10.2023
(संशोधित निर्णय दि. 08.09.2023)

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम नया नगर पटवार क्षेत्र नगर तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 495 क्षेत्रफल 5.5442 हैक्टेयर की आई हुई है इसमें आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, सरकारी कटान मार्ग तक विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि मौजा नया नगर के खेत खसरा नम्बर 494 रकबा 0.2914 हैक्टेयर में से ही आ जा सकते हैं। इसी रास्ते का उपयोग पीडियों से करते आ रहे हैं। हरबार वारिस में काश्त करने से रास्ता अवरूद्ध हो जाता है तथा विप्रार्थीगण आने जाने में झगड़ा करते हैं। अतः हमारी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 495 से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 494 ग्राम नया नगर में से संलग्न "परिशिष्ठ–अ" अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित करावें।

उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से वकील श्री रोशनलाल चौधरी उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 12 के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोट क्रमांक भू.अ./2022/1575 दिनांक 20.09.2023 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 495 से सरकारी कटान मार्ग तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 494 रकबा 0.2914 हैक्टेयर नजदीकी विकल्प है तथा इसी मार्ग का उपयोग प्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा है। इस रिपोर्ट पर विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा घोर आपत्ति करते हुए कहा कि प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 495 से कटान मार्ग तक पहुंचने के लिये अन्य मार्ग उपलब्ध है। विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता की आपत्ति पर तहसीलदार गुड़ामालानी से पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी ने पुनः रिपोर्ट अपने पत्रांक–भू.अ./2023/999 दिनांक 26.07.2023 द्वारा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 495 से राजकीय कटान मार्ग तक पहुंचने का विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 494 के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प विद्यमान नहीं है। विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 494 रकबा 0.2914 हैक्टेयर में से कटान हेतु प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई दो गट्ठा व लम्बाई 20 गटठा रकबा 0.02 बीघा है। वर्तमान में प्रार्थीगण द्वारा कटान मार्ग तक पहुंचने हेतु इसी प्रस्तावित रास्ते का उपयोग किया जा रहा है। प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं है। इस रिपोर्ट पर भी वकील विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा आपत्ति की गई। जबकि भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से कटान मार्ग तक पहुंचने के लिये उक्त प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विलम्ब नहीं होने का कथन दोनों रिपोर्टों में किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि वकील विप्रार्थीगण की आपत्तियों का कोई अन्त नहीं है, जानबूझकर प्रार्थीगण के प्रकरण को लम्बित कर रहे हैं।

प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2023/999 दिनांक 26.07.2023 के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए ''लाल रंग मार्क'' अनुसार कटान मार्ग से प्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा संख्या 495 ग्राम नया नगर में आने–जाने हेतु विप्राथीगण की आराजी ग्राम नया नगर के खेत खसरा नम्बर 494 रकबा 0.2914 हैक्टेयर में से लम्बाई 20 गट्ठा चौडाई 2 गट्ठा कुल रकबा 0.02 बीघा भूमि रास्ते हेतु बरंग ''लाल'' संलग्न नक्शा अनुसार 'रास्ता' घोषित किए जाने के आदेश दिया जाते है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थीगण द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

(सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार गुडामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/09/23 को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी